International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 8.141
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 6 No. 40 September - October - 2025

भारतीय संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों में बौद्ध धम्म की उपयोगिता

प्रा. सुचिता इंगळे

संशोधक,

पाली आणि बुद्धिझम विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छ. संभाजीनगर

Corresponding Author – प्रा. सुचिता इंगळे

DOI - 10.5281/zenodo.17656430

शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने जब सम्बोधि की प्राप्ति की। उसके बाद उन्होंने जनकल्याकारी कार्य किया। सभी को मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उसी पर चलकर कई लोगों ने सुखी और शान्ति का जीवन व्यतीत किया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का यहीं दृष्टिकोण रहा होगा कि भारत के लोग सुखी, सम्पन्न और शान्ति का जीवन जिए और चारों ओर समानता और बन्धुता का वातावरण निर्माण हो। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के अनुच्छेद और बौद्ध धम्म के तत्वों का प्रभाव देखते हैं, वे अनुच्छेद इस प्रकार है।

अनुच्छेद 38:

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। सभी के राष्ट्रीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयत्न करना। जिससे कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने 'सब्बे सत्ता सुखी होन्तु' की संकल्पना रखी थी और 'राजा भवतु धम्मिको' की संकल्पना को रखा था। राजा धार्मिक होना चाहिए। जिससे सभी लोग सुख पूर्वक जीवन व्यापन कर सकें और कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सकें। राज्य के नीति निदेशक तत्व दिये गए है। जो अग्रलिखित है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व :

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए है। उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद अग्रलिखित है।

अनुच्छेद 39:

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत वर्णन किया गया है कि राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व का पालन किया जायेगा। जैसे पुरूष और सभी नागरिकों को सम्मान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरूष के समान ही स्त्री को वेतन हो। बालकों का दुरूपयोग न हो। उनका शोषण न हो। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने वैशाली के वज्जी संघ को सम्बोधित करते हुए 'सप्तपरिहानिय धम्म' बताया था। जो इस प्रकार है।

1. सार्वजनिक समितियों की बैठक करना।"
2. मिलजुलकर बैठक करना और मिलजुलकर उठना।
3. मिलजुलकर निर्णय लेना।

4. वृद्धों का सम्मान करना और पुरानी परम्पराओं को मानना।

5. स्त्रीयों का सम्मान करना और उनका अपहरण न करना।

6. सार्वजनिक स्थानों की देखरेख करना और उनका सम्मान करना।

7. आये हुए ज्ञानी, भिक्षु और अरहत का सम्मान करना, उनकी बातों को मानना।

वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। वे प्रजातंत्र ढ़ग से रहते थे। इसीलिए उनके गण को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था। अर्थात् वे लोक धम्म का पालन करते थे। इसीलिए उनका राज्य कल्याणकारी था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक एकता और समानता थी। ये तत्व कल्याणकारी तत्व है। जो राज्य को आदर्श बनाने में सहायक होता है।' सुत्तनिपात के महामंगलसुत्त' में माता-पिता और पुत्र-स्त्री की सुरक्षा और पालन पोषण का वर्णन किया गया है। जो इस प्रकार है।

मातापितु उपट्ठनं, पुत्तदारस्स संग.हो।

अनाकुला च कम्मनता, एतं मग. लमुत्तम॥

अर्थात् - माता-पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन-पोषण करना और गड़बड़ का काम न करना, यह उत्तम मंगल है।

राज्य का अंग परिवार, समाज, जनता होती है। उनकी हिफाजत करना सरकार का कार्य होता है, क्योंकि ये सरकार का अंग है। उनकी सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करना होता है। शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगार, मकान, कपड़ा और भोजन इत्यादि चीजे मुलभूत है। जो मनुष्य के जीवन में अनिवार्य रूप से उपयोग में आती हैं। इसी से कल्याणकारी राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में की गयी है। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध की शिक्षा में मानव कल्याण के तत्व मौजूद है।

अनुच्छेद 45, 46:

इसके अन्तर्गत बच्चों की शिक्षा राज्य द्वारा दी जायेगी का प्रावधान किया गया है। राज्य के दुर्बल लोगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, हित की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि की व्यवस्था और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा की जायेगी। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने भी शिक्षा सभी के लिए खुली की थी। उसमें किसी के लिए भी बन्धन नहीं रखा था। चाहे वह छोटा या बड़ा हो सभी के लिए शिक्षा के द्वार खुले थे। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी सभी के लिए शिक्षा देना शुरू किया था। सभी के लिए शिक्षा का दरवाजा खुला किया था। उन्होंने अशिक्षा को ही दुःख का कारण बताया था। शिक्षा के सम्बन्ध उनके विचार इस प्रकार वर्णित है।

विद्या बिना मति गयी।

मति बिना नीति गयी।

नीति बिना गति गयी।

गति बिना वित्त गया।

वित्त के बिना शूद्रों का विनाश हुआ। इतना बड़ा अनर्थ एक अविद्या ने किया।

इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा ही मनुष्य के जीवन में एक मात्र परिवर्तन का साधन है। भारत में जब शूद्रों को शिक्षा मिलना प्रारम्भ हुआ। तब से इस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आया हुआ प्रतीत होता है। विद्या से मति आयी। मति से नीति आयी। नीति से गति आयी। गति से अर्थ आया। अर्थ से शूद्रों का विकास हुआ। इतना बड़ा परिवर्तन एक विद्या ने किया।

भारत भूमि में शूद्रों के जीवन में जो परिवर्तन आया प्रतीत होता है। उसका कारण एकमात्र शिक्षा है। शूद्र सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से वंचित थे। शिक्षा ही वह उपाय है। जिससे सभी प्रकार की समस्या दूर की जा सकती है। डॉ.भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 'शिक्षा वह शेरणी का दूध है जो पीयेगा वह दहाड़ेगा।' शिक्षा से इंसान दहाड़ता है। शिक्षा से ज्ञान में वृद्धि होती है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद, उससे प्राप्त अधिकारों से शूद्रों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है। सभी वर्ण की महिलाओं को शूद्र वर्ण में ही रखा गया था। अर्थात् महिलाओं को भी शूद्र माना जाता था। उन्हें अपना विकास करने का अवसर भारतीय संविधान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी प्रकार का विकास करना तब ही सम्भव है। जब मनुष्य के पास शिक्षा होती है। संविधान में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने शैक्षणिक अवसरों की समानता की मुहर लगा दी। वे शाक्यमुनि गौतम बुद्ध और महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरू मानते थे। इन दोनों महापुरूषों ने अज्ञान को दुःख का कारण बताया। यदि अज्ञान को दूर हो तो ज्ञान को यानी शिक्षा को प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रस्तुत अनुच्छेद शिक्षा से सम्बन्धित है, इससे स्पष्ट होता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने गुरू की परम्परा जो कि कल्याणकारी है। उसी को ध्यान में रखते हुए. सभी के लिए संविधान में शिक्षा का समान अधिकार दिया है। ऐसा प्रतीत होता है।

अनुच्छेद 48 के अनुसार:

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत बताया गया है कि राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गायों और बछड़ो एवं दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिक्षण और सुधार के लिए और उनकी हत्या का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाया जायेगा।" अर्थात् पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। उनकी रक्षा की जायेगी। छठवीं सदी में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में इसकी शिक्षा दी थी। जिसे

पालि भाषा में 'पाणातिपाता' कहते है। उन्होंने किसी भी जीव की हत्या नहीं करने का उपदेश दिया है। चाहे वह छोटे हो या बड़े हो। सबके प्रति करूणा रखने की बात कहीं गयी है। पंचशील का यह प्रथम शील है। जिसमें उन्होंने हिंसा नहीं करने की बात कहीं गयी है।

भारतीय संविधान एक मानवतावादी संविधान है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर कहते है कि मैंने समता, स्वतंत्रता, बन्धुता और न्याय का तत्व बौद्ध धम्म से ही लिया है। मूल अधिकार सभी के लिए दिये गये है। लोकतंत्र की संकल्पना भी मैंने बौद्ध भिक्षु संघ से ही ली है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में बौद्ध धम्म के तत्व का प्रभाव है। इसीलिए भारतीय संविधान में सभी जाति के लोगों के हितों और कल्याण का समान रूप से ध्यान रखागया प्रतीत होता है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान कल्याणकारी संविधान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। सभी को अपना विकास करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें 'सब्बे सत्ता सुखी होन्तु' की भावना रखी गयी हैं। इस संविधान की विशेषता है कि बिना रक्तपात किये ही अपने अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। किसी की हिंसा नहीं करनी है। सभी को जीवन व्यापन का पूर्ण अधिकार है।

संदर्भ ग्रंथ:

1. भारत का संविधान, इलाहाबादः सेन्ट्रल रेल्वे प्रकाशन, 2014, पृ. 31.
2. वहीं.

3. अम्बेडकर, भीमराव, (अनुवादक) आनन्द कौसल्यायन, शुद्धिकरण-विजय मानकर, कुद्ध और उनका धम्म, नागपुरः ब्ल्यू वर्ल्ड सिरीज, 2015, पृ. 325, 326.
4. सुत्तनिपात, धर्मरक्षित. (मूलपालि और हिन्दी अनुवाद), दिल्लीः मोतीलाल बनारसीदास, 2014, पृ. 66.
5. भारत का संविधान, इलाहाबादः सेन्ट्रल रेल्वे प्रकाशन, 2014, पृ. 33.
6. माली, क्रान्तिज्योति सावित्रीबाई फुले, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, 2011, पृ. 27.
7. भारत का संविधान, इलाहाबादः सेन्ट्रल रेल्वे प्रकाशन, 2014, पृ. 33.